न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04/2012
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2010/00018

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ

(सायल)

बनाम

सुग्रीव पुत्र मोहनलाल, जाति मोग्या उम्र 48 वर्ष, निवासी रारोती थाना बारां सदर, तहसील बारां, जिला बारां, (राज0)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 19.10.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल सुग्रीव पुत्र मोहनलाल, जाति मोग्या उम्र 48 साल निवासी रारोती, थाना बारां सदर तहसील बारां, जिला बारां के विरूद्व थानाधिकारी बारां सदर की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना बारां सदर क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व थाना बारां सदर में वर्ष 1997 से 2009 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 447, 379, 307, 324, 323, 349, 341, 323, 354, 143, 323, 34, 341, 323, 325, 34 ता0हि0 के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमें से 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने से सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कई प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। इस प्रकार यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया

[illegible] उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से अधिकतम समयावधि [illegible] निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब दिनांक 12.06.2013 इस आशय का प्रस्तुत किया गया की उक्त प्रकरण की पत्रावली में पुलिस द्वारा जो प्रकरणों के दस्तावेज सूची पेश की है वह सभी प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। तथा वे सभी प्रकरण लडाई झगडो व पारिवारीक झगडे के थे। जिनमें प्रार्थी बरी हो चुका है। पिछले 10 वर्षो से प्रार्थी के विरूद्व कोई चोरी चकारी लूटपाट या संगीन मुकदमा दर्ज नही हुआ है, कोई नया प्रकरण प्रार्थी के विरूद्व नहीं है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी कर अपना पारिवारीक निर्वहन करता है। अतः गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही निरस्त की जावें।

थाना बारां सदर से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में विभिन्न धाराओं में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है। बारां सदर में वर्ष 1997 से 2009 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 447, 379, 307, 324, 323, 349, 341, 354, 413, 34, 325, 34 ता0हि0 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने, गैरसायल के चालचलन में कोई सुधार नही होने, गैरसायल की आपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढने से, अप्रार्थी की आम शौहरत भी ठीक नहीं होने, अप्रार्थी का आम जनता में भय एवं आतंक होने एवं अप्रार्थी के विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा में अंकित लगभग सभी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किये जा चुके है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व केवल 02 प्रकरण लंबित है, तथा गैरसायल के विरूद्व गत 10 वर्ष से अधिक समय से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस बारां सदर, बारां द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना बारां सदर में बारां सदर में वर्ष 1997 से 2009 तक की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 447, 379, 307, 324, 323, 349, 341, 354, 413, 34, 325, 34 ता0हि0 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से 03 प्रकरणों [illegible] न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तथा प्राप्त [illegible] रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरूद्व वर्ष 2009 के बाद प्रकरण संख्या 85/1[illegible] 307/18 धारा 341, 323, 34, 147, 323, 325, 435, 447, 379, 304, 12[illegible]/54 एक्साईज एक्ट, के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया जा चुका है। एवं 03 प्रकरण विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह साबित होता है कि गैरसायल सुग्रीव पुत्र मोहनलाल, जाति मोग्या उम्र 48 वर्ष, निवासी रारोती, थाना बारां सदर, तहसील बारां, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल सुग्रीव पुत्र मोहनलाल, जाति मोग्या उम्र 48 वर्ष, निवासी रारोती थाना बारां सदर, तहसील व जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र सदर बारां, जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल सुग्रीव पुत्र मोहनलाल, जाति मोग्या उम्र 48 वर्ष, निवासी रारोती थाना बारां सदर, तहसील व जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना बारां सदर, क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 30.11.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा (ग्रामीण) थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां जिला कोटा (ग्रामीण) एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी बारां सदर, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना बारां सदर, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां जिला कोटा (ग्रामीण) के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested